राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 677/2017...जिला............हनुमानगढ़..

उनवान – मैसर्स रवि मार्बल उद्योग, नोहर रोड, रावतसर बनाम अपीलीय प्राधिकारी, बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.05.2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री नत्थूराम, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश ओझा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बकाया मांग राशि 12,12,612/– में से राशि रूपये 7,17,524/– को एक वर्ष अथवा अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया गया अतः व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत पुनः स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलार्थी ने कोई कर चोरी नहीं की है और उसके सभी संव्यवहार उसकी लेखा पुस्तकों में दर्ज है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने बिक्रीत वस्तु पर विधि के विपरीत 5 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत कर आरोपित किया है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक बकाया मांग राशि रू. 4,95,008/– पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी का अपील में मुख्य आधार यह की अपीलार्थी व्यवसाई सीमेन्ट कंकरीट के इन्टरलोक ब्लॉक का विक्रय करता है जिस पर Shedule IV की क्रम संख्या 197 के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से कर देय है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने Shedule V की क्रम संख्या 78 के अनुसार अन्य वस्तुओं की श्रेणी में मानकर कर आरोपित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी का यह आधार परीक्षण योग्य है तथा अपील अच्छे हेतुक की श्रेणी में है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात पाया कि प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में लगातार.................2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 677/2017..जिला...........हनुमानगढ़.......................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/05/2017	प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित राशि रूपये 4,95,008/— की वसूली कार्यवाही को इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के **तीन माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील का सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (नत्थूराम) 1.5.2017 — सदस्य (मदन लाल) 1.5.2017 — सदस्य	